

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 29, गुरुवार, शाके 1947- नवम्बर 20, 2025 Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र (ओ)

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 20, 2025

संख्या प. 2(10)वन/2025 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि अथवा उस पर सरकार के और निजि व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय-4 के अनुबन्ध, पूर्वाक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदपश्चात् रक्षित वन (Protected Forest) कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एस.आर.वी.मूर्ति,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड का नाम	मौजा	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
अलवर	बहरोड हाल मांढण	डाबडवास	डाबडवास	1017	7.55	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
कुल योग				01	7.55	

मीरा कानूनगो,

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर।

वन विभाग
परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वनखण्ड : डाबडवास रेंज या विस्तार : बहरोड जिला : अलवर

क्र.स.	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कडियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कडियां		
डाबडवास						
1	1	2	10	00	पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	7	90	दक्षिण-पश्चिम	सीधी रेखा
3	3	4	3	30	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
4	4	5	3	30	दक्षिण-पश्चिम	सीधी रेखा
5	5	6	3	90	दक्षिण-पूर्व	सीधी रेखा
6	6	7	7	00	दक्षिण-पश्चिम	सीधी रेखा
7	7	8	4	30	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
8	8	9	1	70	उत्तर-पूर्व	सीधी रेखा
9	9	10	1	60	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
10	10	11	7	40	उत्तर	सीधी रेखा
11	11	12	9	80	उत्तर-पश्चिम	सीधी रेखा
12	12	13	4	70	उत्तर-पूर्व	सीधी रेखा
13	13	14	7	00	दक्षिण-पूर्व	सीधी रेखा
14	14	1	4	30	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा

- नोट : 1. यह सर्वे कार्य 20 मीटर की जरीब से किया गया है जिसमें 100 कडियां होती है।
2. माप से अभिप्राय धरातल की सतह की माप से है।
3. दर्शाई गई माप नक्शे के अनुरूप है।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

अधिकारों की संक्षिप्त सूची (1) वनखण्ड - डाबडवास
रेंज-बहरोड, तहसील- बहरोड, हाल मांढण, जिला-अलवर
(सुविधाएँ राज्य शासन द्वारा कमी भी वापस ली जा सकती है)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाएं उपयोग में आ सकते हैं।	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त है	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्टे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
डाबडवास	डाबडवास	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए के लिए लकड़ी (प्रति वर्ष) क्यूबिक फुट लट्टों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विविध अधोवन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सुखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जड़ें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल-पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकड़ना	शमशान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वनखण्ड -डाबडवास, में ग्रामवासियों को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं रहेंगे।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

रियायतों की संक्षिप्त सूची (2) वनखण्ड - डाबडवास
रेंज- बहरोड, तहसील- बहरोड, हाल मांढण, जिला-अलवर
(सुविधाएँ राज्य शासन द्वारा कमी भी वापस ली जा सकती है)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाएं उपयोग में आ सकते हैं।	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त हैं	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्टे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
								निवास-गृह	पशुशालाएं विविध लकड़ियां
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
डाबडवास	डाबडवास	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए के लिए लकड़ी (प्रति वर्ष) क्यूबिक फुट लट्टों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विविध अधोवन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सुखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जड़ें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोड़ियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल-पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकड़ना	शमशान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वनखण्ड -डाबडवास, में ग्रामवासियों को कोई रियायत स्वीकार नहीं की गई है।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
पीठासीन अधिकारी - मीरा कानूनगो

वाद क्रमांक -41/2016

निर्णय दिनांक-27.02.2025

वन विभाग बनाम

ग्रामवासियान बगैरह ग्राम- डाबडवास

तहसील-बहरोड़, हाल माढण

जिला-अलवर

विषय :- जाँच हक हकुक ग्राम सुनवाई रक्षित वनखण्ड डाबडवास, तहसील बहरोड़, हाल माढण।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प बहरोड़ में पेश हुई। वन खण्ड डाबडवास को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत एक विज्ञप्ति संख्या प.2(6)वन/2010 जो राजस्थान राजपत्र संख्या भाग 1 'ख' दिनांक अगस्त 19, 2010 प्रकाशित हुआ। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से संबंधित ग्राम-डाबडवास, तहसील बहरोड़, हाल माढण, जिला-अलवर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1017 कुल किता 01 रकबा 7.55 हैक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्घोषणा दिनांक- 26.02.2016 को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी बहरोड़ श्री जितेन्द्र कुमार सैन उपस्थित हुये, उन्होंने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वन खण्ड डाबडवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-डाबडवास के खसरा नम्बर 1017 सम्मिलित किया जा रहा है में ग्रामवासियों को कोई हक हकुक नहीं हैं। पटवारी हल्का श्री देवेन्द्र उपस्थित हुये उन्होंने ग्राम-डाबडवास से संबंधित राजस्व अभिलेख के आधार पर बयान दर्ज कराये मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर 1017 रकबा 7.55 हैक्टेयर, किस्म बंजड़ वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी में कोई आम रास्ता/सड़क व देवस्थान नहीं है।

वनखण्ड डाबडवास, रेंज बहरोड़ को रक्षित क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपत्तियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार कोइ आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित्त होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्राम डाबडवास के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात्, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 के परीक्षण करने पर मैं निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि ग्राम डाबडवास, तहसील बहरोड़ हाल माढण, जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1017 रकबा 7.55 हैक्टेयर किस्म बंजड़ वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त सम्पूर्ण वन भूमि पर वन विभाग अविवादित रूप से काबिज है।

उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर 1017 रकबा 7.55 हैक्टेयर किस्म बंजड़ वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अब मैं उक्त क्षेत्र को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected forest) क्षेत्र के रूप में गठन करने की अनुसंशा करती हूँ।

वनखण्ड डाबडवास, रेंज बहरोड़, जिला-अलवर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक हकुक) अधिकार/अनुदान/रियासतें स्वीकार नहीं की गई है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय प्रति संबंधित, उप वन संरक्षक, अलवर को भिजवाई जावें।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।